प्रथम सूचना रिपोर्ट

F.I.R.

एफ.आई.आर.

के बारे में जानें

अपराध रोकने के लिए जरूरी है एफ.आई.आर. लिखवाना

प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ.आई.आर.) क्या है?

पुलिस थाने में किसी अपराध की पहली बार रिपोर्ट लिखवाने को कानून की भाषा में ''प्रथम सूचना रिपोर्ट या अंग्रेजी में फर्स्ट इनफॉरमेंशन रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)'' कहते है। किसी भी अपराधी को सजा दिलवाने के लिए उसके द्वारा किए गए अपराध की एफ.आई.आर. लिखवाना जरूरी है।

कौन लिखवा सकता हे एफ.आई.आर.?

एफ.आई.आर. निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति लिखवा सकता है।

1. वह व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो, यानी पीड़ित व्यक्ति स्वयं पुलिस थाने जाकर उसके साथ हुए अपराध की रिपोर्ट लिखवा सकता है?
2. कोई ऐसा व्यक्ति भी पुलिस थोन जाकर एफ.आई.आर. लिखवा सकता है जिसने जुर्म होते हुए देखा हो या जो अपराध के बारे में जानकारी रखता हो या अपराध की बात सुनता हो।
3. पुलिस अधिकारी खुद भी किसी घटना की एफ.आई.आर. लिखवा सकता है।

जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारीश के मुताबिक आपराधिक नियम (संशोधन) कानून 2013 की प्रमुख बातें ...

- एफ.आई.आर. लिखने से यह कह कर इंकार नहीं किया जा सकता कि ''मामला दूसरे थाना क्षेत्र'' का है।
- यदि किसी अन्य थाना क्षेत्र का मामला किसी पुलिस थाने में आता है तो उस थाने द्वारा उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर ली जाएगी और उस मामले को संबंधित थाने में भेज दिया जाएगा।
- एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166-अ के तहत अपराध है और इसके लिए पुलिसकर्मियों को छह माह से एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

प्रकाशक

डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक न्याय केन्द्र

(दलित अधिकार अभियान, मध्यप्रदेश)

ई–8/63, भरत नगर, शाहपुरा, भोपाल

सहयोग : दलित संघ, सोहागपुर, प्रगति ग्रामीण विकास संस्था, बैतूल एवं अम्बेडकर विचार मंच, हरदा

वित्तीय सहयोग : एक्शनएड, भोपाल (म.प्र.)

अत्याचारों के मामलों में सम्पर्क हेतू हेल्पलाईन नं. 9755575963, 9301059985, 9926200304

Email : dalitadhikarabhiyan@gmail.com, dalitsangh@sify.com, pgvsngo1@yahoo.co.in

कहां लिखवाएं एफ.आई.आर.?

किसी भी अपराध की एफ.आई.आर. उस क्षेत्र के पुलिस थाने में लिखवाई जा सकती है, जहां अपराध हुआ है। इसके अलावा कोई घटना यदि संबंधित थाना क्षेत्र की नहीं है, तो घटना की शिकायत किसी भी थाने में कराई जा सकती है।

एफ.आई.आर. नहीं लिखने पर क्या करें?

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह अपराध की एफ.आई.आर. लिखवाएं। पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. लिखने से इंकार नहीं कर सकते। पुलिस द्वारा यह कहकर भी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) लिखने से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह पहले जांच करेंगे और फिर एफ.आई.आर. लिखेंगे। बल्कि पुलिस अधिकारी को एफ.आई.आर. लिखने के बाद ही मामले की जांच करनी होगी। यदि पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) नहीं लिखी जा रही हे तो

1. आप पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को लिखित में अपनी एफ.आई.आर. भेज सकते हैं।
2. यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आन न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

एफ.आई.आर. लिखवाते समय अपराध की घटना का पूरा ब्यौरा दें। किन्तु यदि आप पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं तो इस आधार पर एफ.आई.आर. लिखने से इंकार नहीं किया जाएगा। आपके पास इतनी सूचना होनी चाहिए, जिससे पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध की जांच शुरू की जा सकें। पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आई. आर. लिख लेने के बाद यह आपको पढ़ कर सुनाई जाएगी। एफ.आई.आर. की एक प्रति आप जरूर लें, यह आपका अधिकार है। पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. में वही कथन लिखा जाएगा, जो एफ.आई. आर. दर्ज करवाने वाले ने कहा है। यदि इसके विपरीत कोई पुलिस अधिकारी गलत कथनों अथवा गलत तथ्यों को लिखता है तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 और 218 के तहत दण्डनीय होगा।

एफ.आई.आर. न लिखना भी एक अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. लिखने से इंकार करना एक दण्डनीय अपराध है। इस धारा में कहा गया है कि ''जो कोई लोक सेवक होते हुए कानून के निर्देशों के विपरीत आचरण करें या जानबूझकर कानून की अवज्ञा करें या किसी व्यक्ति को वैध दण्ड से बचाने का प्रयास करें तो उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।''

एफ.आई.आर. लिखने के बाद क्या होगा?

एफ.आई.आर. लिखने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा मामले की तहकीकात की जाएगी और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस द्वारा यह एफ.आई.आर. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 157 के तहत तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

Printed By : Mahak Graphics & Offset Mob. : 9826364676